रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1957] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2009/अग्रहायण 5, 1931
No. 1957] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2009/AGRAHAYANA 5, 1931

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2009

का.आ. 3016(अ).—जबकि, कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का मसौदा भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 2086(अ), दिनांक 11 अगस्त, 2009 के तहत भारत के असाधारण राजपत्र, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उप-धारा (1) के तहत यथाअपेक्षा अधिसूचना प्रकाशित करते हुए, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किये गए थे तथा यह भी सूचना दी गई थी कि इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उक्त मसौदे पर विचार किया जाएगा ।

और, जबकि, उक्त अवधि के भीतर उक्त मसौदे पर किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है ;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 में संशोधन करने के लिए केंद्र सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है, नामत: :—

नियमावली

1. (1) इन नियमों को कयर उद्योग (पंजीकरण) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. कयर उद्योग (पंजीकरण) नियमावली, 2008 में (इसके बाद उक्त नियमावली कहा जाएगा), नियम 4 में, परन्तुक में, "आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है" शब्दों के स्थान पर "आदेश द्वारा तथा लिखित में रिकॉर्ड कारणों के लिए, आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है" से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

3. उक्त नियमावली के नियम 7 में, प्रथम परन्तुक एवं द्वितीय परन्तुक में, "आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है" शब्दों के स्थान पर "आदेश द्वारा तथा लिखित में रिकॉर्ड करने वाले कारणों के लिए, आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकता है" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

4. उक्त नियमावली के नियम 14 में, "उसके बारे में अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा" शब्दों के स्थान पर "जो ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उसका निपटारा करेंगे" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

5. उक्त नियमावली के नियम 22 में, "जिसका निर्णय अंतिम होगा" शब्दों के स्थान पर "जो ऐसी अपील प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर उसका निपटारा करेगी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

[फा. सं. 6(25)/2000-कयर (वॉल्यूम-II)]

शेष कुमार पुलिपाका, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य नियमावली का.आ. 2061 (अ), दिनांक 18 अगस्त, 2008 के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किए गए ।

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2009

S.O. 3016(E).—Whereas the draft of certain Rules to amend the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, was published as required by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953) in the notification of Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises number S.O.2086 (E), dated 11th August, 2009 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby and notice was given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of a period of 45 days from the date of publication in the Official Gazette.

And whereas, no objection or suggestion has been received from the public on the said draft within the said period.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Coir Industry Act, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, namely :—

RULES

1. (1) These rules may be called the Coir Industry (Registration) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Coir Industry (Registration) Rules, 2008, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in the proviso, for the words "entertain an application", the words "by order and for reasons to be recorded in writing, entertain an application" shall be substituted.

3. In rule 7 of the said rules, in the first proviso and second proviso for the words "entertain an application", the words "by order and for reasons to be recorded in writing, entertain an application" shall be substituted.

4. In rule 14 of the said rules, for the words "whose decision thereon shall be final", the words "who shall dispose of the appeal within thirty days from the date of receipt of such appeal" shall be substituted.

5. In rule 22 of the said rules, for the words "whose decision thereon shall be final", the words "who shall dispose of the appeal within ninety days from the date of receipt of such appeal" shall be substituted.

[F.No. 6(25)/2000-Coir (Vol. II)]

SESH KUMAR PULIPAKA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 2061 (E), dated the 18th August, 2008.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.